सं0 12019/35/2013-रा.भा.(शि0)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-|| भवन, बी-विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड़, नई दिल्ली-110001,
दिनांक 17 जुलाई, 2014

22 JUL 2014

परिपत्र

विषय:- राजभाषा विभाग के शिकायत कक्ष में प्राप्त होने वाली शिकायतों के संबंध में

राजभाषा विभाग में प्राप्त होने वाली शिकायतों में 20% से 25% शिकायतें, हिन्दी के समाचार-पत्रों में 'अंग्रेजी में विज्ञापन प्रकाशन' से संबंधित प्राप्त हो रही है।

2. संविधान में राजभाषा से संबंधित उपबंधों, राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों तथा राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन के लिए संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करना अपेक्षित है। परिभाषित 'क' क्षेत्र में केवल हिंदी में ही पत्रोत्तर करना है।

3. अत: सभी मंत्रालयों / विभागों को सलाह दी जाती है कि हिंदी के अखबार में हिंदी का विज्ञापन तथा अंग्रेजी के अखबार में अंग्रेजी का विज्ञापन दें। जब अंग्रेजी के अखबार में अंग्रेजी में विज्ञापन दिया जाए तो विज्ञापन के अंत में यह अवश्य उल्लेख कर दें कि "अधिसूचना/विज्ञापन/रिक्ति संबंधी परिपत्र का हिन्दी रूपान्तर वेबसाइट पर उपलब्ध है ....(पूर्ण लिंक दी जाए)" ।

(विजय कुमार)
उप-सचिव (शिकायत)

भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग